


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 83/2025

उनवानी :- वेदी व अन्य बनाम रामावतार व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
09.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार – बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी सायल एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 83/2025 उनवानी वेदी व अन्य बनाम रामावतार व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा दिनांक 27.05.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्भो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>